रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28—नवम्बर 3, 2017 (कार्तिक 6, 1939)

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28—NOVEMBER 3, 2017 (KARTIKA 6, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 5 सितंबर 2017

बैविवि.आइबीडी.सं. 2223/23.13.127/2017-18—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये :—

"कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया"

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

बैविवि.आइबीडी.सं. 2224/23.13.127/2017-18—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (क) की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कंपनी नहीं है ।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 7 सितंबर 2017

डीसीबीआर.विअप्र(आरएडी).(पीसीबी). अधि.सं: 05/08.26.213/2017-18—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक एतद द्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं, यथा:—

"सरदार भीलाडवाला पारडी पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)" इन शब्दों के लिए "एसबीपीपी को-ओपरेटिव बैंक लि., किला पारडी, जि. वलसाड (गुजरात)" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2017

सं. रा.स.वि.नि.: 2-1/2010-प्रशासन—अधिसूचना सं. रा.स.वि.नि.: 2-1/2010-प्रशा. दिनांक 19 अक्तूबर, 2010 जो भारत के राजपत्र सं. 44 के भाग ।।। खण्ड 4 दिनांक अक्तूबर 30–नवम्बर 5, 2010 में प्रकाशित हुई है, में आंशिक संशोधन करते हुए निगम के प्रबंध मंडल ने दिनांक 14 सितम्बर 2017 को आयोजित अपनी बैठक में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली, 1967 के नियम संख्या 7-क के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती नियमों में निम्न प्रकार से संशोधन का अनुमोदन किया है :–

1. (ix) वरिष्ठ सहायक

स्तंभ		संशोधन
7	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	30 वर्ष तक (अनु.जाति/अनु.ज.जाति के मामलें में 5 वर्ष, अ.पि.व. के मामलें में 03 वर्ष, विभागीय कर्मचारियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 05 वर्ष की छूट) नोट: आयु सीमा निर्धारित किये जाने की निर्णायक तारीख सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन में उल्लिखित अनुसार होगी ।
8	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	<u>अनिवार्य:</u> (i) कम से कम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (अनु.जाति/अनु. जनजाति के मामले में 45% तक की छूट) (ii) कंप्यूटर की जानकारी ।
11	भर्ती की विधि, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	(i) 60% पदोन्नति द्वारा । (ii) 40% सीधी भर्ती द्वारा ।
12	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन से भर्ती करने के मामले में किस ग्रेड में प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	पदोन्नति: कनिष्ठ सहायक ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ ।

2. (xv) वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक

स्तंभ		संशोधन
12	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन से भर्ती करने के मामले में किस ग्रेड में प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	पदोन्नति (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता): वैयक्तिक सहायक ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा के साथ ।

3. (xxiv) बहु-कार्य स्टाफ-चपरासी: चपरासी शब्द जो बहु कार्य स्टाफ के पद से बाद में जोड़ा गया था, हटा दिया गया है ।

उपर्युक्त संशोधन 14.09.2017 से प्रभावी होंगे ।

अशोक दलवाई
प्रबंध निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 5th September 2017

DBR.IBD.No. 2223/23.13.127/2017-18—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following:

"Commonwealth Bank of Australia"

SUDARSHAN SEN
Executive Director

DBR.IBD.No. 2224/23.13.127/2017-18—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 (A) of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the Commonwealth Bank of Australia has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

The 7th September 2017

DCBR.RAD.(PCB). Not.No. 05 /08.26.213/2017-18—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the following alterations shall be made in the second schedule to the said Act, namely:-

For the words "Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-operative Bank Ltd., Killa Pardi, Distt. Valsad (Gujarat)" the words "SBPP Co-operative Bank Ltd., Killa Pardi, Distt. Valsad (Gujarat)" shall be substituted.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

New Delhi, the 29th September, 2017

No. NCDC:2-1/2010-Admn.—In partial modification of the notification No. NCDC:2-1/2010-Admn. dated 19th October, 2010 published in the Gazette of India No. 44, Part III, Section 4 dated October 30—November 5, 2010 and in exercise of the powers conferred by Regulation 7-A of National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, the Board of Management of the Corporation in its meeting held on 14th September, 2017 has approved amendment to the Recruitment Rules as under :—

1. (ix) Senior Assistant

Col. No.		AMENDMENT
7.	Age limit for direct recruitment	Upto 30 years. *(Relaxable by 5 years in the case of SC/ST, 03 years for OBC and upto 5 years for Departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt.)* *Note : Crucial date for determining the age limit shall be the date as may be mentioned in the advertisement for DR.*
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: (i) Degree of a recognized University with not less than 50% marks (relaxable upto 45% in the case of SC/ST). (ii) Knowledge of computers.
11.	Method of Recruitment, whether by Direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	(i) 60% by Promotion (ii) 40% by Direct recruitment
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion: Junior Assistants with 5 years' service in the grade.

2. (xv) Senior Personal Assistant

Col.No.		AMENDMENT
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	Promotion (Seniority-cum-fitness): Personal Assistants with 5 years' service in the grade.

3. (xxiv) Multi Tasking Staff-Peon – the word "Peon" suffixed after Multi Tasking Staff be deleted.

The above amendments shall be effective from 14.09.2017.

ASHOK DALWAI
Managing Director

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in

LAZAR SAGAYA RAJ
Digitally signed by LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.10.28 11:38:07 +05'30'